दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक : 1447 /कुसका/2021 दिनांक : 11 नवम्बर, 2021

सेवा में,

1. **समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष,**
   दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
   गोरखपुर।

2. **प्राचार्य/प्रबन्धक,**
   समस्त सम्बन्ध महाविद्यालय,
   दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
   गोरखपुर।

विषय : उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू किये जोन हेतु छात्रों का निर्धारित प्रारूप पर डाटा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-1600/सत्तर-1-2021 दिनांक 11.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू किये जाने हेतु छात्रों का निर्धारित प्रारूप पर डाटा शासन को उपलब्ध कराया जाना है।

उक्त के क्रम में मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार **विश्वविद्यालय परिसर के पंजीकृत छात्र निर्धारित संलग्न प्रारूप में ऑनलाइन (संलग्न लिंक से भरकर तत्पश्चात् प्रिन्ट लेकर) अथवा आफलाइन फार्म सम्बन्धित कार्यालय यथा स्नातक छात्र संकायाध्यक्ष कार्यालय, परास्नातक एवं शोध छात्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में जमा करेंगे।** जिसकी साफ्ट कापी व हार्ड कापी कुलसचिव कार्यालय में 20 नवम्बर, 2021 तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिसके कि छात्र/छात्राओं की संकलित डाटा को उत्तर प्रदेश शासन को समयानुसार प्रेषित किया जा सके।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए पत्रांक संख्या-डिग्री विकास/134931-33/2021-22 दिनांक 10.11.2021 द्वारा उल्लिखत निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व कुलसचिव, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित कराकर उक्त पत्र के निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ऑनलाइन फार्म भरने हेतु लिंक (केवल विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु) –
https://ddugorakhpur.com/entrance21/ddu_students_get.aspx

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गेरखपुर।
4. सहा0 कुलसचिव, प्रशासन/सम्बद्धता, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गेरखपुर।
5. प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना– 2021

Student's Data Format (Laptop,Tablet Distribution)

(ITI,Polytechnice,UG,PG,B.Ed,BTC,UP.BOARD,CBSE)

सत्र– (2021–22)

1	Students Name				Photo
2	Gender				
3	Father's Name				
4	Mother's Name				
5	Date of Birth				
6	Aadhar Number				
7	Mobile No.				
8	Email Id.				
9	Permanent Address				
10	Tehsil / Block				
11	District				
12	Pin Code				
13	Native State				
14	University Name				
15	Institute Name				
16	Students Enroll Number				
17	Name Of Course				
18	Level Of Course	Graduate	Post Graduate	Diploma	
19	Level Enrolled In				
20	Current Course Year				
21	Fees due if any		Fees NOC	Yes	No

सलग्न –1. हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट अंक पत्र मूल की छायाप्रति।

2. प्रवेश रसीद की छायाप्रति।

3. आधार कार्ड की छायाप्रति।

4. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

5. दो पासपोर्ट साइज का फोटो।

छात्र/छात्रा हस्ताक्षर

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)उ0प्र0
शिक्षा डिग्री अर्थ–1 अनुभाग
प्रयागराज।

सेवा में,

1– कुलसचिव, समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, उ0प्र0।
3– प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उ0प्र0।

पत्रांक– डिग्री विकास/13493 1 – 33 /2021–22 दिनांक 10 / 11 /2021

विषय– उ0प्र0 के युवाओं के तकनीकी सशक्ति करण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू किये जाने हेतु छात्रों का निर्धारित प्रारूप पर डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर–प्रदेश शासन के पत्र सं0– 1627/77–1–2021 दिनांक– 27 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्ति करण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के संबंध में सूच्य है कि संलग्न निर्धारित प्रारूप **(Student basic data filling)** को अपने महाविद्यालय में पंजीकृत छात्र–छात्राओं से पूरित कर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा सत्यापित कराते हुए उसकी सॉफ्टकापी यू0पी0 डेस्को की ईमेल आई0डी0– **mdupdesco.up@gmail.com**, उत्तर–प्रदेश शासन की ई–मेल आई0डी0– **soiid1.up@gmail.com** एवं इस कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 **dhedegreevikas@gmail.com** पर अपलोड कराने के साथ मूल प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि छात्र–छात्राओं के संकलित डाटा उत्तर–प्रदेश शासन को प्रेषित किया जा सके। प्रश्नगत योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय

डॉ0(राजीव पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज।

संख्या–1726/सत्तर–1–2021–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनाँक 28 अक्टूबर, 2021**

विषय– प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1600/सत्तर–1–2021 व दिनांक 11 10.2021 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के पत्र दिनाक 30.09.2021 में की गयी अपेक्षा के क्रम मे विश्वविद्यालय एव सम्बद्ध महाविद्यालयों में पजीकृत छात्रों का डाटाबेस निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

2– योजना के कियान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय एव सम्बद्ध महाविद्यालयों के पजीकृत छात्रों की सूचना अवस्थापना एव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर जनपदवार तैयार करात हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारियों का दायित्व होगा कि छात्रों की सूचना का सत्यापन हेतु समुचित व्यवस्था बनाते हुए स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स के वितरण की कार्यवाही नियमानुसार औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत किये गये आदेशों के अनुरूप जनपद स्तर पर पारदर्शिता के साथ करेंगे। जिला प्रशासन स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स के वितरण मे पारदर्शिता तथा लाभार्थियों की प्रमाणिकता के लिये उत्तरदायी होगा, ताकि योजना के कियान्वयन मे कोई अनियमितता न हो। प्रथम चरण में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम वर्ष मे नव प्रवेशित छात्रों का पूरा डाटाबेस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर लिये जाने पर कालातर में उनकी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

F SO-1 /a 2021 G O

संख्या एव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी।

2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा स,

/

(ब्रह्मदव)

संयुक्त सचिव।

मुख्य सचिव कार्यालय
दिनांक 30/09/21

प्रमुख सचिव

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या 7484 / VIP SSHE? / 2020

30/9/21
(अवधनाथ पाण्डेय)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- सचिव,उ0प्र0 स्टेट मेडिकल एण्ड एलाइड फैकल्टी, 5 सर्वपल्ली मार्ग, माल एवेन्यु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 30 सितम्बर, 2021

विषय- प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन तथा टेबलेट/स्मार्ट फोन की आपूर्ति वितरण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाना है। इस सम्बन्ध मे संस्थाओं-राज्य विश्वविद्यालयो एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालय, आई.टी.आई., पालीटेक्निक आदि से लाभार्थियों का डाटा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित है।

2- सामान्यतः सभी विभागों के पास लक्षित लाभार्थी युवा वर्ग का डेटा बेस डिजिटल फॉरमेट में विभिन्न स्तरो पर उपलब्ध है, जिसको संग्रहित कर प्रस्तावित परियोजना हेतु विशेष वेब पोर्टल बना कर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होगी। यदि किसी विभागीय संस्था का डेटा बेस उपरोक्तानुसार निर्धारित फॉरमेट में उपलब्ध नहीं है, तो सम्बन्धित संस्था के स्तर पर इसे अपलोड कराते हुए तथा इसके सत्यापन की व्यवस्था करते हुए डेटा बेस तैयार कराया जाए।

3- अत: इस सम्बन्ध में निर्धारित डाटा फार्मेट का प्रारूप सलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्धारित फार्मेट पर अपने विभाग से सम्बन्धित लाभार्थी युवा वर्ग का डाटाबेस उपलब्ध होने की स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक : यथोपरि।

सं0 1300 / निजसचि/उशि(ए.) / 19-20

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1937/1511/2/4
VS(MK)
01-10-2021

प्रमुख सचिव

कृपया आवश्यक कार्यवाही

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

5.10.2
04/10/2021

विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन

आज प्राप्त
श्री राजकुमार

संख्या–1706 / सत्तर–1–2021–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनॉक 26 अक्टूबर, 2021**

विषय– प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1600/सत्तर–1–2021 व दिनाक 11 10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवस्थापना एव औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के पत्र दिनांक 30.09.2021 मे की गयी अपेक्षा के क्रम में विश्वविद्यालय एव सम्बद्ध महाविद्यालयों में पजीकृत छात्रों का डाटाबेस निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

2– योजना के क्रियान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के पंजीकृत छात्रों की सूचना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर जनपदवार तैयार कराते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेगे। जिलाधिकारियों का दायित्व होगा कि छात्रो की सूचना का सत्यापन हेतु समुचित व्यवस्था बनाते हुए स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स के वितरण की कार्यवाही नियमानुसार औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत किये गये आदेशों के अनुरूप जनपद स्तर पर पारदर्शिता के साथ करेंगे। जिला प्रशासन स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स के वितरण में पारदर्शिता तथा लाभार्थियों की प्रमाणिकता के लिये उत्तरदायी होगा, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई अनियमितता न हो। प्रथम चरण में स्नातक द्वितीय एव तृतीय वर्ष तथा परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित छात्रो का पूरा डाटाबेस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर लिये जाने पर कालांतर में उनकी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

सलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

/

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

F SO-1 a 2021 G O

संख्या एव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ब्रह्मदेव)

संयुक्त सचिव।